

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 1724/2012/बूंदी

मैसर्स मंगल आयरन,
टेलीफोन एक्सचेंज के सामने,
एन-एच 12, बूंदी।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
बूंदी।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह – सदस्य

उपस्थित : :

श्री पंकज दाधीच,
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,
उप राजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 19/02/2014

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003, (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) के अन्तर्गत पारित अपील संख्या 06/वैट/2011-12/बूंदी में पारित किये गये निर्णय दिनांक 07.05.2012 के विरुद्ध धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का वाणिज्यिक कर अधिकारी, बूंदी (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 61, 72 एवं 75(8) के तहत सर्वेक्षण दिनांक 17.06.2010 के सम्बन्ध में दिनांक 07.01.2011 को आदेश पारित कर कुल मांग रूपये 3,80,189/- सृजित की गयी। अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 17.06.2010 को सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के दौरान व्यवसाय स्थल पर उपलब्ध माल का भौतिक सत्यापन किया गया लेकिन सर्वेक्षण की तिथि को लेखा पुस्तकों एवं स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं करवाने के कारण लेखा पुस्तकें प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। दिनांक 13.07.2010 को व्यवसाई द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों में दर्ज स्टॉक से मिलान करने पर 1,87,354/- का लोहा सरिया 64,007/- का अन्य माल 2,845/- का सेनेटरी सामान भौतिक सत्यापन पर कम पाया गया और 55,137/- का सेनेटरी सामान भौतिक सत्यापन पर अधिक पाया गया जिसके सम्बन्ध में सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए कम पाये गये माल पर 11,092/- का कर 22,185/- की शास्ति आरोपित की गई एवं अधिक पाये गये माल पर 7,719/- का कर एवं 16,541/- की शास्ति आरोपित की गई।

वक्त सर्वेक्षण पाये गये लूज परचे, स्लिप पेड, आदि को इम्पाउन्ड किया गया और उनकी जांच व ऑडिट करने पर पाया गया व्यवहारी द्वारा इन दस्तावेजों में दर्ज माल लोहा सरिया 12,49,581/- अन्य माल 1,44,530/- सेनेटरी सामान 3,50,981/- एवं सीमेन्ट 8,600/- के कोई बिल अथवा चालान नहीं काटे गये है और ना ही

लगातार.....2



इनका जमा खर्च लेखा पुस्तकों में किया गया है इसलिये इस माल का उच्चन्ती विक्रय करना मानते हुए सूचना पत्र जारी किया गया तथा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुये 1,07,551/- का कर एवं 2,15,101/- की शास्ति आरोपित की गई। इस प्रकार कुल 3,80,189/- की मांग कायम की गई। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को सभी बिन्दुओं पर उचित मानते हुये अपीलार्थी व्यवहारी की अपील को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध यह अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा सर्वेक्षण नियमानुसार नहीं किया है। उनके द्वारा नियम 50 की पालना नहीं की गयी है। अतः समस्त कार्यवाही अवैधानिक है। अधिकृत प्रतिनिधि ने आगे कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Quotations को भी बिक्री मानने में भूल की है। उनके द्वारा बताया गया कि माल स्वीकार होने पर बिल जारी किये जाते है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा Stock भी पूर्ण सही तरह से नहीं किया गया है। अतः जब सर्वेक्षण की कार्यवाही ही अवैधानिक है तो आरोपित कर, शास्ति व ब्याज अपास्त किये जाने योग्य है। अतः उनकी अपील स्वीकार की जावे।

5. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि सर्वेक्षण नियमानुसार किया गया है। भौतिक सत्यापन दो गवाहों की उपस्थिति में किया गया है तथा व्यवहारी को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर Infrond किये गये लूज पेपरों की पूर्ण ऑडिट की जाकर जिन लेखा पुस्तकों में जमा खर्च नहीं पाया गया उनकी ही उच्चन्ती बिक्री मानी गयी है। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा भी उचित माना गया है। अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार किये जाने योग्य होना कथन किया।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तथा रिकार्ड का अवलोकन किया गया। विभागीय पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी हार्डवेयर, आयरन एण्ड स्टील, सेनेटरी सामान, पेन्ट आदि का व्यापार करता है। अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 17.06.2010 को सर्वेक्षण एवं स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया जाकर भौतिक सत्यापन फर्द तैयार की गई थी जिसमें प्रत्येक आईटम का विवरण अंकित है और उस पर दो स्वतंत्र गवाहों एवं मेनेजर के हस्ताक्षर मौजूद है। भौतिक सत्यापन के समय पाये गये माल का मिलान लेखा पुस्तकों से किया गया। जिस पर पाया गया कि रूपये 55,137/- के सेनेटरी सामान घोषित स्टॉक से अधिक पाये गये जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब जांच अधिकारी एवं अपील स्तर पर प्रस्तुत नहीं किया इसलिये कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे अघोषित मानते हुए आरोपित किया गया कर 7,719/- धारा 75(8) की शास्ति 16,541/- उचित है।


लेखा पुस्तकों से भौतिक सत्यापन कर पाये गये माल का मिलान करने पर 1,87,354/- का लोहा सरिया 64,000/- का अन्य सामान व 2,845/- का सीमेन्ट घोषित स्टॉक से कम पाया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त माल का उच्चन्ती विक्रय करना मानते हुए आरोपित किया गया कर 11,092/- धारा 61 की शास्ति 22,185/- उचित

है। अधिकृत प्रतिनिधि का यह तर्क कि अप्रूवल बेसिस पर माल ग्राहक का भेजने व बाद में बिल काटने के कारण माल स्टॉक में कम पाया गया है उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि एप्रूवल बेसिस पर जो माल ग्राहकों को दिया जाता है उसके संबंध में व्यवसाय स्थल पर डुप्लीकेट कोपी में चालान बुक रखी जाती है। जिसकी एक प्रति ग्राहक को दी जाती है और कार्बन प्रति व्यवसाई के पास रहती है और माल फाईनल होने या वापस आने के आधार पर बिल जारी किये जाते हैं लेकिन अपीलार्थी ने इस प्रकार की कोई चालान बुक नहीं रखी है केवल मौखिक रूप से यह कह देना कि अप्रूवल बेसिस पर माल भेजा है उसकी कर चोरी की मंशा को सिद्ध करता है।

वक्त सर्वेक्षण अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल पर 31 लूज पेपर एवं 15 स्लिप पेड पाये गये थे जिनमें व्यवसाय से संबंधित विवरण अंकित किया हुआ था जिन्हें अपीलार्थी के हस्ताक्षर करवाकर इम्पाउन्ड किया गया था। इनकी आडिट करने पर जिन इन्द्राज के बिल जारी करना व बहीखातों में दर्ज करना पाया गया उनका विवरण तैयार करने पर 12,49,581/- का लोहा सरिया, 1,44,430/- का अन्य सामान, 8,600/- का सीमेन्ट एवं 3,50,981/- का सेनेटरी सामान कुल 17,53,692/- का सामान ऐसा पाया गया जिसके कोई बिल अपीलार्थी द्वारा जारी नहीं किये गये थे और ना ही इनकी बिक्री का जमा खर्च लेखा पुस्तकों में किया गया है। अधिकृत प्रतिनिधि का तर्क है कि सर्वेक्षण के समय पाये गये लूज पर्चों में सप्लायर्स द्वारा जारी किये गये कोटेशन भी जांच अधिकारी ने शामिल कर लिये हैं लेकिन पत्रावली में उपलब्ध आडिट रिपोर्ट से ऐसा प्रमाणित नहीं होता है तथा अपीलार्थी ने जांच अधिकारी द्वारा जारी सूचना पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किया था उसमें सप्लायर्स द्वारा जारी कोटेशन्स इम्पाउन्ड दस्तावेजों में शामिल करने के संबंध में कोई आपत्ती दर्ज नहीं करवाई थी उस वक्त केवल यहीं कहा गया था कि एप्रूवल बेसिस पर माल भेजने का विवरण लूज पर्चों में दर्ज किया हुआ है। इससे स्पष्ट होता है कि अपील स्तर पर कोटेशन्स का बिन्दु उठाना अपीलार्थी की कर व शास्ति से बचने की पश्चातर्वी सोच है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण नियमानुसार किया गया है तथा पाये गये दस्तावेजों की पूर्ण ऑडिट कर जिनका जमा खर्च लेखा पुस्तकों में नहीं पाया गया उन्हीं की उचन्ती बिक्री मानी गयी है। अतः आरोपित कर, शास्ति व ब्याज उचित है। जिसे अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार कायम रखा जाता है।

7. अतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


19-2-14
(अमर सिंह)
सदस्य